बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांकः– मु0अ0(अनु0) समीक्षा कार्य (द0बि0)–54 / 2024 . 5676(S) पटना, दिनांकः - 24/01/2025

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, प0नि0वि0, बिहार।
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना।
सभी अधीक्षण अभिंयता, प0नि0वि0, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता, प0नि0वि0, बिहार।

विषयः– **भू–अधिग्रहण सन्निहत योजनाओं हेतु महत्वपूर्ण निदेश के संबंध में।**

महाशय,

योजनाओं की समीक्षा के दौरान देखा जा रहा है कि जिन योजनाओं में भू–अधिग्रहण के मामले सन्निहित होते हैं, उनमें भू–अधिग्रहण के पूर्व ही पूरे कार्य की योजना एक साथ निर्गत कर दी जाती है, पर भू–अधिग्रहण का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण योजना पर कार्य नहीं हो पाता है। ऐसी कई परियोजनाएँ विभाग के अन्तर्गत क्रियान्वित है जिसमें इन कारणों से काफी विलंब हो रहा है। भारत सरकार के PIA, NHAI एवं MoRTH की योजनाओं में भू–अधिग्रहण के मामलों को Forest Clearance के साथ Pre Construction Activity में शामिल किया जाता है एवं योजनाओं में न्यूनतम 80% भू–अधिग्रहण पूर्ण होने के बाद ही निविदादाता को Construction Activity (सिविल कार्य में) Appointed Date निर्गत किया जाता है। MoRTH, भारत सरकार एवं NHAI की परियोजनाओं में हाईब्रिड मोड (HAM) के Contract Clause 10.3.2 के अंतर्गत 80% लम्बाई में बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने तथा EPC में 90% लम्बाई में बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर Appointed Date दिए जाने का प्रावधान है। इससे कार्य को समय–सीमा के अंतर्गत पूरी किए जाने में सुविध होती है। यह देखा जा रहा है कि भू–अधिग्रहण का कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण निविदादाताओं द्वारा बार–बार Time Extension के साथ Price Escalation की मांग की जाती है एवं इसके कारण परियोजनाओं में बार–बार प्राक्कलन के संशोधन की आवश्यकता पड़ती है।

चूँकि राज्य में क्रियान्वित योजनाओं में भू–अर्जन एवं वन विभाग से अनापत्ति राज्य स्तर से प्राप्त होती है। अतः समीक्षोपरान्त पथ निर्माण विभाग की योजनाओं को ससमय निष्पादित करने के लिए निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं:–

(1) जिन सड़क योजनाओं में भू–अर्जन कुल स्वीकृत लंबाई के 20% से ज्यादा हो, उन योजनाओं में योजना की तकनीकी स्वीकृति को दो भागों में प्रदान किया जाय :

पार्ट–1 में सभी योजनाओं में भू–अर्जन की सन्निहित राशि की स्वीकृति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी

कृ०पृ०ऊ०

के प्राक्कलन के आधार पर उल्लिखित किया जाय। योजना के सिविल कार्य में उपयोग होने वाले सामग्रियों तथा Utility Shifting इत्यादि को पूर्ववत् योजना की विवरणी को पार्ट–2 में अंकित किया जाय। पूर्ण योजना की तकनीकी स्वीकृति पार्ट–1 एवं पार्ट–2 को जोड़कर दिया जाय।

(2) जिन योजनाओं में पार्ट–1 में भू–अर्जन के तहत योजनाओं में सन्निहित भूमि से 20 प्रतिशत से ज्यादा हो, उन योजनाओं की निविदा तबतक आमंत्रित नहीं किया जाय जबतक परियोजना की कुल सन्निहित भूमि की लंबाई का कम से कम 50% भू–अर्जन के पश्चात् दाखिल कब्जा (Possession) विभाग को नहीं मिल जाय।

(3) ऐसी परियोजनाओं हेतु कुल आवश्यक भूमि का 70% बाधा रहित भूमि (भू–अर्जन एवं Forest Clearance सहित) उपलब्ध होने पर ही कार्यादेश निर्गत किया जाय। इस सिविल कार्यादेश में कार्य एवं Utility Shifting दोनों सम्मिलित रहें। इसके पश्चात् यह ध्यान रखा जाय कि भू–अर्जन का पूर्ण मामला ससमय सम्पादित हो जाय एवं विभाग को न केवल भूमि का दाखिल कब्जा मिल जाय अपितु संबंधित किसानों एवं भू–धारियों को पूर्ण भुगतान मिल जाय, ताकि कार्य कराने के दौरान किसी प्रकार का बाधा न हो।

प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

उपर्युक्त निदेशों का सभी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

मिहिर 24/1/2025

(मिहिर कुमार सिंह)

ज्ञापांकः– मु0अ0(अनु0) समीक्षा कार्य (द0बि0)–54 / 2024 - 567 (S) पटना, दिनांकः - 24/01/2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / सचिव (डा0 संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी) के आप्त सचिव / सचिव (श्री बी0 कार्तिकेय धनजी) के आप्त सचिव / विशेष सचिव के आप्त सचिव / अपर सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मिहिर 24/1/2025

(मिहिर कुमार सिंह)

ज्ञापांकः–मु0अ0(अनु0) समीक्षा कार्य (द0बि0)–54 / 2024 - 567 (S) पटना, दिनांकः - 24/01/2025

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) / अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

मिहिर 24/1/2025

(मिहिर कुमार सिंह)

ज्ञापांकः– मु0अ0(अनु0) समीक्षा कार्य (द0बि0)–54 / 2024 - 567 (S) पटना, दिनांकः - 24/01/2025

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मिहिर 24/1/2025

(मिहिर कुमार सिंह)

ज्ञापांकः– मु0अ0(अनु0) समीक्षा कार्य (द0बि0)–54 / 2024 - 567 (S) पटना, दिनांकः 24/01/2025

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

मिहिर 24/1/2025

(मिहिर कुमार सिंह)